संख्या-50/2026/I/1383728/2026/11-4099/5/2023

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य कर विभाग के 23 फील्ड कार्यालयों में 10 के0वि0ए0 के 23 जनरेटर, 26 फील्ड कार्यालयों में 25 फील्ड कार्यालयों के0वि0ए0 के 26 जनरेटर तथा राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ एवं जोनल कार्यालय भवन, लखनऊ में 320 के0वि0ए0 के 01-01 जनरेटर, इस प्रकार कुल 51 जनरेटर क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-4 नजारत/जनरेटर क्रय/समस्त जोन/2026-27/98/राज्य कर, दिनांक 05.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य कर विभाग के 23 फील्ड कार्यालयों में 10 के0वि0ए0 के 23 जनरेटर, 26 फील्ड कार्यालयों में 25 फील्ड कार्यालयों के0वि0ए0 के 26 जनरेटर तथा राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ एवं जोनल कार्यालय भवन, लखनऊ में 320 के0वि0ए0 के 01-01 जनरेटर, इस प्रकार कुल 51 जनरेटर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित धनराशि रू0 471.322 लाख (रूपया चार करोड़ इकहत्तर लाख बत्तीस हजार दो सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में **राज्य कर विभाग के 23 फील्ड कार्यालयों में 10 के0वि0ए0 के 23 जनरेटर, 26 फील्ड कार्यालयों में 25 फील्ड कार्यालयों के0वि0ए0 के 26 जनरेटर तथा राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ एवं जोनल कार्यालय भवन, लखनऊ में 320 के0वि0ए0 के 01-01 जनरेटर, इस प्रकार कुल 51 जनरेटर (कार्यालयों की सूची संलग्न)** क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्रावधानित बजट के सापेक्ष **कुल रू0 471.322 लाख (रूपया चार करोड़ इकहत्तर लाख बत्तीस हजार दो सौ मात्र)** की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल030)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. जनरेटर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एल-1 पर नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3. जेम पोर्टल की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसकी जिम्मेदारी आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/सम्बंधित जोन के अपर आयुक्त, राज्य कर/अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर की होगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से जनरेटर क्रय किये जायेंगे। सभी जनरेटर की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/सम्बंधित जोन के अपर आयुक्त, राज्य कर/अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर की होगी।

6. जनरेटर की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/सम्बंधित जोन के अपर आयुक्त, राज्य कर/अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर का होगा।

7. जनरेटर क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए नियमानुसार व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

10. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनरेटर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा इनके संचालन हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की मांग नहीं की जाएगी।

11. स्वीकृत जनरेटर का क्रय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,71,32,200 (रुपये चार करोड़ इकहत्तर लाख बत्तीस हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 4059010513200 सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सम्बंधित अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, उ0प्र0।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक- कार्यालयों की सूची।

क्र0	कार्यालय का नाम	जोन	स्वीकृत जनरेटर की विद्युत क्षमता	अनुमानित मूल्य (रु0 लाख में)
1	अमेठी	अयोध्या	10 के0वि0ए0	5.72
2	नानपारा बहराइच		10 के0वि0ए0	5.72
3	बलरामपुर		10 के0वि0ए0	5.72
4	जोनल बरेली	बरेली	10 के0वि0ए0	5.72
5	बदायूँ		10 के0वि0ए0	5.72
6	हरदोई	लखनऊ	10 के0वि0ए0	5.72
7	लखीमपुर खीरी		10 के0वि0ए0	5.72
8	मैनपुरी	इटावा	10 के0वि0ए0	5.72
9	संयुक्त आयुक्त (कार्य) मैनपुरी		10 के0वि0ए0	5.72
10	अवध नगर मैनपुरी		10 के0वि0ए0	5.72
11	बुलन्दशहर (अपील कार्यालय)	गाज़ियाबाद	10 के0वि0ए0	5.72
12	बुलन्दशहर (खुर्जा)		10 के0वि0ए0	5.72
13	DRDA compound मथुरा	अलीगढ़	10 के0वि0ए0	5.72
14	एटा		10 के0वि0ए0	5.72
15	कैशाम्बी	प्रयागराज	10 के0वि0ए0	5.72
16	प्रतापगढ़		10 के0वि0ए0	5.72
17	बडौत	मेरठ	10 के0वि0ए0	5.72
18	बागपत		10 के0वि0ए0	5.72
19	चित्रकूट	झाँसी	10 के0वि0ए0	5.72
20	महोबा		10 के0वि0ए0	5.72
21	मऊ	वाराणसी	10 के0वि0ए0	5.72
22	मिर्जापुर डीसी (ए)		10 के0वि0ए0	5.72
23	सम्भागीय मिर्जापुर		10 के0वि0ए0	5.72
24	उरई	झाँसी	25 के0वि0ए0	9.425
25	संतकबीरनगर	गोरखपुर	25 के0वि0ए0	9.425
26	देवरिया		25 के0वि0ए0	9.425
27	सुल्तानपुर	अयोध्या	25 के0वि0ए0	9.425

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

28	बहराइच		25 के0वि0ए0	9.425
29	एस0आई0बी0 बरेली	बरेली	25 के0वि0ए0	9.425
30	शाहजहाँपुर		25 के0वि0ए0	9.425
31	रामपुर	मुरादाबाद	25 के0वि0ए0	9.425
32	बिजनौर		25 के0वि0ए0	9.425
33	नजीबाबाद		25 के0वि0ए0	9.425
34	अमरोहा		25 के0वि0ए0	9.425
35	धामपर		25 के0वि0ए0	9.425
36	सीतापुर	लखनऊ	25 के0वि0ए0	9.425
37	लखीमपुर खीरी		25 के0वि0ए0	9.425
38	रायबरेली		25 के0वि0ए0	9.425
39	प्रशा0 शामली	सहारनपुर	25 के0वि0ए0	9.425
40	मण्डल मथुरा	अलीगढ	25 के0वि0ए0	9.425
41	कोटवन मथुरा		25 के0वि0ए0	9.425
42	हाथरस		25 के0वि0ए0	9.425
43	कोसीकला		25 के0वि0ए0	9.425
44	हापुड	गाजियाबाद प्रथम	25 के0वि0ए0	9.425
45	बुलन्दशहर (मण्डल कार्यालय)	गाजियाबाद द्वितीय	25 के0वि0ए0	9.425
46	जौनपुर	वाराणसी द्वितीय	25 के0वि0ए0	9.425
47	बलिया		25 के0वि0ए0	9.425
48	फतेहगढ़	इटावा	25 के0वि0ए0	9.425
49	इटावा		25 के0वि0ए0	9.425
50	मीराबाई मार्ग, लखनऊ	लखनऊ	320 के0वि0ए0	47.356
51	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ	लखनऊ	320 के0वि0ए0	47.356
कुल- 51 कार्यालय				**471.322**

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in